प्रकरण संख्या 1/2019 श्रीमती नारायणीबाई बनाम कमलेश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	पत्रावली पेश हुई। रिव्यू प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी नारायणीबाई द्वारा रिव्यू आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.09.2017 को प्रकरण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णित कर रिमाण्ड किया गया, जिसे पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण संख्या 59/2018 दर्ज किया गया, जिसमें दिनांक 22.05.2019 को प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया, जिसके विरूद्ध यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आप न्यायालय में विपक्षीगण द्वारा 27 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसे आप न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के स्वीकार कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया गया है, जबकि मियाद के बिन्दु का विनिश्चयन किया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी आप न्यायालय द्वारा अवहेलना की गयी है एवं आदेश 41 नियम 3 (क) की पालना नहीं की गयी है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील समझौता से पारित डिक्री के विरूद्ध है, जिसकी कानूनन अपील ही नहीं की जा सकती, लेकिन आप न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः रिव्यू आवेदन स्वीकार कर दिनांक 22.05.2019 को पारित आदेश का पुनर्विलोकन किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस भी प्रस्तुत की तथा न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1425, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 702, आर. आर.टी. सुप्रिमकोर्ट 2004 पेज 1202, आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 849, आर.आर.टी. सुप्रिमकोर्ट 2014–15 पेज 662, आर. आर.टी. 2013 (2) पेज 1306, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1092, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 1205, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1209, ए.आई.आर. 2014 पेज 2697, ए.आई.आर. 2006 सुप्रिमकोर्ट पेज 2628, ए.आई.आर. 2018 केरला पेज 113 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी/पुनरावेदन की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि न्यायालय आप द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी आप न्यायालय में पुनरावेदन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुनः आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निर्णय पारित किया है। तत्पश्चात पुनः	

प्रार्थीगण द्वारा पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं उसमें जो आधार लिये गये गये हैं, वह पुनरावलोकन की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.09.2017 को जो निर्णय पारित किया उसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.10.2018 को पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुनः न्यायालय हाजा द्वारा मेरिट पर बहस सुनकर दिनांक 22.05.2019 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध पुनः रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त आवेदन में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं, वह पुनरावलोकन की परिभाषा में नहीं आते हैं तथा इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन सारहीन होकर खारिज योग्य है।

अतः पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.13 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: